संक्षिप्त समाचार

शिवर का आयोजन 6 एवं 7 को

दुर्ग(चिन्तक)। दुर्ग संभाग के अंतर्गत सभी पांच जिलो में पेशन एवं वेतन निर्धारण के लिए जनवरी माह में विभिन्न तिथियों पर सुनील गजभिये संभागीय संयुक्त संचालक कोषलेखा पेंशन द्वारा प्रत्येक जिले के लिए टीम का गठन कर पेंशन प्रकरण निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 6 एवं 7 जनवरी को जिला दुर्ग के लिए संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा पेंशन कार्यालय दुर्ग में ही पेंशन एवं वेतन निर्धारण शिविर का आयोजन किया जायेगा,

संविदा पदों पर दिये जायेंगे बोनस अंक

दुर्ग (चिन्तक)। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं मे नियुक्त एवं छः माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों के लिए 10 अंक बोनस दिया जायेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दुर्ग के अंतर्गत संविदा पदों पर जारी विज्ञापन क्रमांक 13847 में भी इस बोनस अंक का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए विज्ञापन में जारी समस्त पदों में जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन किया है और किसी कारणवश कोविडि-19 में कार्य किये जाने के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नही किया है, वो अभ्यर्थी ई-मेल के माध्यम से दिनांक 05 जनवरी से 07 जनवरी 2022 शाम 5 बजे से पहले आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते है।

वोरा ने कार्पोरेशन के कामकाज की समीक्षा की

खासबात

- समीक्षा से पहले विभागीय अधिकारियों ने वोरा को नववर्ष की बधाई दी
- कार्पोरेशन के सभी सेक्शन के कार्यो की प्रगति की समीक्षा की

दुर्ग (चिन्तक)। स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन अरुण वोरा ने आज कार्पोरेशन के सभी विभागीय प्रमुखों से जारी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कार्पोरेशन के 134 शाखाओं की भंडारण क्षमता के विस्तार के संबंध में वोरा ने जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 29 स्थानों पर 2 लाख 24 हजार मीट्रिक क्षमता के गोडाउन का निर्माण चल रहा है और 3 लाख 88 हजार 8 सौ मीट्रिक टन क्षमता के गोडाउन का निर्माण भविष्य में किया जाएगा। वोरा ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिये।

अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में कार्पोरेशन की भंडारण क्षमता 24 लाख 86 हजार 228 टन हो जाएगी। वर्तमान में भंडारण की आवश्यकता के कारण 2 लाख 2 हजार 198 टन क्षमता के गोडाउन किराये पर लिये गए हैं। वोरा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्य समयसीमा के भीतर पूरे किये जाएं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट होना चाहिए।अधिकारियों ने बताया कि भंडारण कार्य के लिए 147 धर्मकांटों में से 39 धर्मकांटे 40 टन क्षमता के थे। उनकी तौल क्षमता बढ़ाकर 60 मीट्रिक टन की जा रही है। 9 स्थानों पर 80 मीट्रिक टन क्षमता के नए धर्मकांटे स्थापित किये जा रहे हैं। 19 स्थानों पर 80 मीट्रिक टन क्षमता के धर्मकांटे की स्थापना का कार्य स्वीकृत है। यह कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने किया राजस्थान में शानदार प्रदर्शन

दुर्ग(चिन्तक)। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने किया राजस्थान में शानदार प्रदर्शन किया जिसमें छत्तीसगढ़ के 33 खिलाड़ियों (महिला एवं पुरुष) ने सब जूनियर, जूनियर ,सीनियर ,मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर 3 एवं दिव्यांग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया एवं अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक प्राप्त करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया।

कुमारी श्रद्धा स्मृति ने कैट परीक्षा में भिलाई का किया नाम रौशन

भिलाई(चिन्तक)। भिलाई की होनहार व मेधावी छात्रा सु श्रद्धा स्मृति ने कैट-2021 में 99.61 पर्सेंटाइल लाकर पूरे प्रदेश में भिलाई का नाम रौशन किया है। छत्तीसगढ़ की शिक्षाधानी भिलाई ने देश को अनेक मेधावी छात्र दिए है। भिलाई के छात्रों ने इंजीनियरिंग, मेडिकल के साथ-साथ देश के उत्कृष्ट प्रबंध संस्थान आई.आई.एम. में भी उच्चतम स्कोर से कैट क्वालीफाई कर प्रवेष लेने की पात्रता हासिल कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। भिलाई की ऐसे ही एक होनहार छात्रा है कुमारी श्रद्धा स्मृति, जिसने कैट-2021 में 99.61 प्रतिषत पर्सेंटाइल प्राप्त कर देश के उत्कृष्ट संस्थानों में शामिल आई.आई.एम. में प्रवेष की पात्रता हासिल की है। कुमारी श्रद्धा स्मृति ने मई-2021 में देश के प्रतिष्ठित संस्थान नेषनल इंस्टीट्यूट ऑफटेक्नोलॉजी (एन.आई.टी), सुरतकल से इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बी.टेक की डिग्री प्राप्त की है।

महापुराण का आयोजन

दुर्ग (चिन्तक)। सिद्धेश्वर धाम महादेव, हनुमान शनि मंदिर रामनगर उरला मे 29 दिसंबर 2021 से 6 जनवरी 2022 तक मद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है । चित्रकूट धाम से पधारे आचार्य भरत जी महाराज द्वारा संगीतमयी वाणी से कथा वाचन किया जा रहा है । प्रतिदिन सेकड़ो धर्मप्रेमी कथा का आनन्द उठा रहे हैं।

उतई के नवनिर्वाचित पार्षद का शपथ ग्रहण

उतई (चिन्तक)। नगर पंचायत उतई वार्ड क्रमाक 5 के नवनिर्वाचित पार्षद सतीश कुमार चन्द्राकर को दुर्ग एस डी एम विनय पोयम के द्वारा उतई के सभागार में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।इस अवसर पर नगर पंचायत उतई के अध्यक्ष डिकेन्द्र हिरवानी, उपाध्यक्ष रविन्द्र वर्मा, सीएमओ सोहेल कुमार, पार्षद भीमसेन सिन्हा, राकेश साहू, तोषन साहू,विस्नु देशलहरे सहित अन्य जन उपस्थित थे। विदित हो कि इस वार्ड की पूर्व पार्षद विमला साहू के असामयिक निधन के बाद उक्त वार्ड में उपचुनाव हुआ था जिसमे सतीश चन्द्राकर निर्दलीय ने निर्दलीय सतीश पारख को शिकस्त देकर चुनाव में विजय श्री हासिल की थी उप चुनाव में भाजपा तीसरे एवं कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी

परीक्षाएं ऑनलाईन पध्दति से कराने ज्ञापन

दुर्ग(चिन्तक)। कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू ने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर पहुंच कर शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में होने वाले मुख्य वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से कराने की मांग को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन के कोविड नोडल अधिकारी एवम सयुक्त कलेक्टर प्रियंका वर्मा से मिलकर कोरोनो के बढते मामले को लेकर चिंता व्यक्त कर छ:ग महामहिम राज्यपाल व (छ:ग) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा ।

जिसमें छात्रो का कहना था कि कोविड की इस महामारी में जहा एक ओर संक्रमण बढ़ते जा रहा है। उसी बीच महाविद्यालय विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा आयोजित करने का सूचना जारी कर छात्रो के सेहत और भविष्य के साथ प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। समस्त विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा को गतवर्ष की भाती ही इस सत्र 2021-2022 में भी ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा लिया जाए।

सोनू साहू ने बताया कि विगत कुछ दिनों से अखबार के माध्यम से जानकारी मिल रहा है की कुछ शैक्षणिक संस्थानों में वहा के पढाने वाले टीचर कर्मचारी एवम हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं में कोविड का लक्षण पाया गया है । वर्तमान समय में जो भी विश्वविद्यालय हाल ही में परीक्षा आयोजित कराने को तैयारी किया जा रहा हैं उस परीक्षा को आगमीय आदेश तक निरसत करने की मांग किया गया जब तक की स्थित समान्य ना हो जाए इस दौरान एन एस यू आई के पलाश लिमेश, अमन विश्वकर्मा, अमन दुबे,गोल्डी कोसरे,करण वैश्णो,देवेश राजपूत, अभय, राहुल यादव,रवि साहू,सूर्यकांत देशमुख सहित बहुत से छात्र उपस्थित रहे।

नामांकन निरस्त किए जाने से आक्रोशित भाजपा नेता बैठे धरने पर

निर्वाचन प्रक्रिया भूपेश सरकार के इशारे पर हो रहा : भाजपा

दुर्ग(चिन्तक)। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत विभिन्न पंचायतों में हो रहे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आज खोपली के पंचायत उपचुनाव में पूर्व सरपंच व मंडल भाजपा अध्यक्ष फत्ते लाल वर्मा का तथा ग्राम कुटेला भाठा के सरपंच प्रत्याशी शकुंतला साहू का नामांकन फार्म निरस्त किए जाने के विरोध में न्याय की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने पूर्व सरपंच फत्ते लाल वर्मा व शकुंतला साहू के साथ जनपद ऑफिस के सामने जमीन पर धरने देकर निर्वाचन अधिकारी व पूरा प्रशासन को सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए न्याय देने की मांग की गई।

इस अवसर पर जिला भाजपा महामंत्री ललित चंद्राकर मंत्री दिनेश देवांगन मंत्री दिनेश देवांगन,उतई पूर्व सोसायटी अध्यक्ष रामकृष्ण साहू,मंडल महामंत्री सोनू राजपूत,महिला मोर्चा उतई मंडल अध्यक्ष शीतला ठाकुर,पूर्व अनुसूचित जाति अध्यक्ष दिनेश देशलहरे,युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रवीण यादव पार्षद कुमारी साहू जगदीश शर्मा योगेंद्र साहू सुरेश देशमुख,उत्तम साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे इस मुद्दे को लेकर कल बुधवार को भाजपा संगठन द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे उपचुनाव में गोपी उतई के पूर्व सरपंच फत्ते लाल वर्मा को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी 22 दिसंबर को जिलाधीश द्वारा अचानक धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया गया किंतु इसकी सूचना प्रशासन द्वारा पदासीन सरपंच फत्तेलाल वर्मा को भी नहीं दिया गया और तीसरे दिन इसी दौरान 25 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे प्रदेश में पंचायत उप चुनाव की घोषणा के साथ इस पंचायत मे भी चुनाव कराने का ऐलान कर दिया गया किंतु हैरान करने वाली बात यह है कि किसी भी पंचायत या निकाय चुनाव में चुनाव के पहले रिक्त पदो की घोषणा कर निर्वाचन के पूर्व मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के तहत दावा आपत्ति कर अंतिम प्रकाशन उपरांत ही चुनाव कराया जाता है किंतु यहां इस प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया ।

बाजे गाजे के साथ किया डॉ. नम्रता का स्वागत

दुर्ग(चिन्तक)। छत्तीसगढ़ की बेटी डॉ नम्रता सिंह जिसने सर्वाइकल कैंसर जागरूकता का संदेश फैलाने के उद्देश्य को लेकर कठिनाइयों का साहस करते हुए, देश के 6 सवारों की टीम के साथ 15 दिनों में 5000 किमी की दूरी तय करके अपने प्रदेश का नाम रौशन किया, ऐसी वीर साहसी बेटी का सम्मान आज पूरा प्रदेश करता है,

जन समर्पण सेवा संस्था, दुर्ग द्वारा छत्तीसगढ़ की बेटी डॉ नम्रता सिंह के जिले के प्रवेश पर पुलगांव चौक पर स्वागत किया, ततपश्चात डॉ नम्रता सिंह जोकि अपने प्रदेश के साथ साथ अपने जिले की बेटी है उसका स्वागत श्री सत्तीचौरा माँ दुर्गा मंदिर में किया गया, जहाँ सबसे पहले डॉ नम्रता सिंह ने माता जी का दर्शन कर आर्शीवाद लिया एवं समित्ति के सदस्यों द्वारा उन्हें माता जी की चुनरी उठाकर स्वागत किया गया।

संस्था के अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश एवं अपने जिले की बेटी का स्वागत गंजपारा की युवतियों ने भी किया। इसके साथ साथ छोटी बच्चियों के साथ स्वागत में बज रहे धुमाल पर डॉ नम्रता सिंह ने गरबा डांस किया और सभी बच्चियों के साथ बैठकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता होती है ये बताया।

उतई के वार्ड क्र 14 में सीसी रोड नवीनीकरण कार्य आरंभ

उतई (चिन्तक)। विधिवत पूजा अर्चना कर मिठाई एवं श्रीफल वितरण कर 3 लाख 25 हजार रु की लागत से सीसी रोड नवीनीकरण का कार्य शुरु किया गया।

सीसी रोड नवीनीकरण के कार्य के शुभारंभ के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष डिकेंद्र हिरवानी नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बहादुर सिंह नेताम वार्ड पार्षद प्रहलाद वर्मा पार्षद गण तोषण साहू, राकेश साहू, भीमसेन सिन्हा, सतीश चंद्राकर, एल्डरमैन प्रेम नारायण साहू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शैलेश देवांगन सोनचंद्र वर्मा वार्ड वासी लिलार साहू, सरज वर्मा, अविनाश साहू, ठेकेदार देवेंद्र राजपूत एवं वार्ड वासी उपस्थित थे।

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग, जिला दुर्ग ।।
व्यक्तिगत सूचना
रा.प्र.क्र.202101100400210 / अ-20 / वर्ष 2020-21

प्रति,
1. श्रीमती पुनिया बाई पति जगदीश पटेल , निवासी हरिजन पारा दुर्ग
2. श्री भूषण लाल पटेल पिता नामालूम निवासी हरिजनपारा दुर्ग
3. श्री गोविंद पटेल पिता स्व. रामसिंग निवासी हरिजन पारा दुर्ग

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आपको सूचित किया जाता है कि छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर कि अधीसूचना दिनांक 26/09/2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों की भूमि हीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम की धारा 5 क के अंतर्गत अवैध /अनियमित पट्टा हस्तातंरण की नियमितकरण हेतु दिशा निर्देश दिये गये है । उक्त निर्देशों के पालन में नगर निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र में शिविर लगा कर अवैध/ अनियमित पट्टा हस्तांतरण के नियमित करण हेतु आवेदन प्राप्त किये गये जिसके तहत् आवेदक राहुल जैन पिता किशोर जैन निवासी पारा दुर्ग द्वारा पट्टेधारी पुनिया बाई जौजे जगदीश पटेल निवासी हरिजनपारा दुर्ग के नाम पर ग्राम दुर्ग स्थित शासकीय खसरा नंबर 536/1 का टु . रकबा 37.52 वर्गमीटर भूखंड क्रं. 129 भूमि का जारी वर्ष 1984 पट्टे में प्राप्त भूमि को क्रय किये जाने के आधार पर स्वयं के नाम से पट्टा नवीनीकृत /जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी व प्राधिकृत अधिकारी दुर्ग के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग द्वारा छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर कि अधीसूचना दिनांक 26/09/2019 के निर्देशों के अनुरूप जांच व प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय प्राप्त हुआ है ।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन पत्र के आधार पर दर्ज प्रकरण में सुनवाई के दौरान आप सभी के साक्ष्य की आवश्यकता होने से आप सभी को राजस्व मामले का नोटिस ज्ञात पते पर प्रेषित किया गया था , किंतु प्रेषित नोटिस अपूर्ण पता होने से अदम तामिली प्राप्त हुआ ।

अत: इस प्रकाशन के माध्यम से आपको सूचित किया जाता हैं कि आगामी पेशी दिनांक 28.09.2021 को दोपहर 02.00 बजे दिन को न्यायालय में स्वयं अपना पक्ष रखे जाने हेतु उपस्थित होवें। उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में यथाविधि एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

आज दिनांक 03.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से सूचना से जारी की गई।

जारी दिनांक - 03.01.2022
सुनवाई दिनांक - 10.01/2022

तहसीलदार
मुहर दुर्ग (छ.ग.)

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।
उद्घोषणा
अ-6/ वर्ष 2021-22

एतद व्दारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता आवेदक - आशीष माहेश्वरी पिता स्व. नंदलाल माहेश्वरी निवासी ग्राम मोतीपारा दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के व्दारा ग्राम पुलगांव तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं.124/32 रकबा 1800 वर्गफीट हे.भूमि को विक्रेता मानक लाल राठी पिता हस्तीमल राठी निवासी से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 22/12/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 12/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29/12/21 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक - 29/12/21
सुनवाई दिनांक - 12/01/22

तहसीलदार
मुहर दुर्ग (छ.ग.)

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।
उद्घोषणा
अ-6/ वर्ष 2021-22

एतद व्दारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता आवेदक - राहुल माहेश्वरी पिता घोगालाल माहेश्वरी निवासी ग्राम मोतीपारा दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के व्दारा ग्राम पुलगांव तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं.124/32 रकबा 1495 हे.भूमि को विक्रेता मानक लाल राठी पिता हस्तीमल राठी निवासी ग्राम रामदेव वार्ड साजा, तह. से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 22/12/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 12/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29/12/21 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक - 29/12/21
सुनवाई दिनांक - 12/01/22

तहसीलदार
मुहर दुर्ग (छ.ग.)

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।
उद्घोषणा
202112100700326 / अ-6/ वर्ष 21-22

एतद व्दारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता आवेदिका - आरती राजपूत पति दिव्यदेव सिंह राजपूत निवासी ग्राम इंदिरा नगर दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के व्दारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं.1273/100 रकबा 0.011 हे.भूमि को विक्रेता दिनेश चंद्राकर पिता खेलन प्रसाद चंद्राकर निवासी ग्राम शंकर नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 09.12.21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24/12/21 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक - 24/12/21
सुनवाई दिनांक - 18/01/22

तहसीलदार
मुहर दुर्ग (छ.ग.)

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।
उद्घोषणा -पत्र
मामला क्रमांक/ / अ-6(अ) / 2021-22

एतद व्दारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक - श्रीमती सुमित्रा गजपाल पति शिव कुमार साकिन कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग के व्दारा अपने भूमि स्वामी हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम कसारीजीह प.ह.नं. 25 (अ) तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि कुल खसरा नं. 707/63 कुल रकबा 0.010 हे. भूमि पर अभिलिखित नाबालिग शब्द को विलोपित कर बालिग दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अत: जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 11/1/2022 तक स्वयं अथवा अपने व्दारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28/12/21 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय में पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

तहसीलदार
मुहर दुर्ग (छ.ग.)

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।
उद्घोषणा-पत्र
रा.प्र.क्र./ अ-6/ वर्ष 2021-22

एतद व्दारा आम जनता को सूचित किया जाता आवेदक सेवा राम यादव पिता उमेंद यादव निवासी ग्राम पुराना बाजार चौक डुन्डेरा तिहसील दुर्ग जिला दुर्ग के व्दारा ग्राम डुन्डेरा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 1398, 1400, 1402 रकबा- 0.1200, 0.1000, 0.2200 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार तुलसा बाई की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार उजर या दावा हो तो वह पेशी दिनांक 14/1/2022 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29/12/21 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक - 29/12/21
सुनवाई दिनांक -14/1/2022

तहसीलदार
मुहर दुर्ग (छ.ग.)

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।
उद्घोषणा
/ अ-6/ वर्ष 21-22

एतद व्दारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता आवेदक - मनोज कुमार अग्रवाल पिता श्री सतीश कुमार अग्रवाल निवासी ग्राम बरईपारा दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के व्दारा ग्राम तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 768/574 रकबा 1596 वर्गफीट हे.भूमि को विक्रेता श्रीमती वनश्री शेन्डे पिता /पति स्व. अरुण कुमार शेन्डे निवासी ग्राम सिविक सेन्टर भिलाई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 29/12/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18/01/2022 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31/12/2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक- 31/12/2021
सुनवाई दिनांक -18/01/2022

तहसीलदार
मुहर दुर्ग (छ.ग.)

।। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।
उद्घोषणा
प.न. 202112100400435

एतद व्दारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक गौरव हिरवानी अन्य 1 आ. रविशंकर हिरवानी निवासी-वार्ड नं. 54 पोटियाकला व्दारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-पोटियाकला प.ह.न.55 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 89/263 रकबा 0.0200 हे.2185 वर्गफीट आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उदघोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 20/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग
मुहर जिला दुर्ग

।। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।
उद्घोषणा
प.न. 202112100400434

एतद व्दारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक देवकुमार हिरवानी आ. टहल सिंह हिरवानी निवासी-वार्ड नं. 54 पोटियाकला व्दारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-पोटियाकला प.ह.न.55 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 89/486 रकबा 0.0170 हे.1771.87 वर्गफीट आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उदघोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 20/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग
मुहर जिला दुर्ग

।। न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग, (छ.ग.) ।।
202201104100002 /अ-6/ वर्ष 2021-22
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुंदर लाल हरमुख पिता शंकर लाल हरमुख निवासी मकान न 0 530 थनौद अंजोरा तह0 व जिला दुर्ग के द्वारा मौजा ग्राम थनौद प. ह. न. 28 रा. नि. म . दुर्ग 01 स्थित भूमि खसरा नं. 467 रकबा 0.7200 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में शंकर लाल हरमुख आ0 दुकालू के नाम पर दर्ज है जिनकी मृत्यु दिनांक 13.10.2021 को हो चुकी है अत: उपरोक्त भूमि पर से मृतक खातेदार का नाम विलोपित कर विधिक वारिसानों के नाम से फौती नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन इस न्यायालय के समक्ष पेश किया है।जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो नियत पेशी दिनांक 17.01.22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं । समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा ।

आज दिनांक 03.01.22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)